न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/145/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/300
प्रवेश तिथि 22.12.2022

अपीलार्थी
सुनीता पुत्री मोहनलाल,
निवासी–म.नं. 234, सेक्टर नं.17,
पंचकूला (हरियाणा)–134109

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 23.01.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रत्यर्थी को प्रा0पत्र दिनांक: 21.11.22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर आ.ख.नं. 2048, 2050, 2051, 2008, 3091/1993 वाके ग्राम–झिरी, तहसील–मालाखेडा की किस्म, रकबा, प्रशासन गांवों के संग अभियान अंतर्गत उक्त खसरों के खातेदारों से परिवर्तन, आदेश आदि संबंधी विस्तृत सूचना चाही गई थी।
5. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक: 19.12..22 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. राजस्व/आरटीआई/2023/65–66 के माध्यम से अपीलार्थी को प्रश्नगत सूचना प्रेषित कर प्रति इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. अपील के तथ्यों व प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के आलोक में विधिक विनिश्चय कर अभिलेखीय सूचना प्रदत्त की जा चुकी है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा **प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त** विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया है जो उचित नहीं है, साथ ही अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है, साथ ही लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना आवेदनों को विलम्बित नहीं किया जावे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 16.01.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नवीन यादव)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)